न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल आर एक्ट 1956
वादपत्र सं. 30/2018
अनुवान कृष्णादेवी बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 16.12.2024

कृष्णादेवी पत्नी मुखराम नाथोलिया जाति ब्राहमण निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

— वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू
2. कमल कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं० 10. सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

— मृतक

2/1 निशा गोठी पत्नी स्व० कमल कुमार जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं० 10. सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

2/2 चन्द्रप्रकाश गोठी पुत्र स्व० कमल कुमार जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं0 10, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

3. प्रशांत कुमार पुत्र नोरतमल छाजेड़ निवासी वार्ड नं. 10, दुगड विद्यालय रोड, बडौदा बैंक के पास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. चन्दादेवी पत्नी बलराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
5. मनिया पुत्र बलराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
6. बाबूलाल पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
7. दीपाराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
8. खेताराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
9. मूलाराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
10. पूरणाराम पुत्र मदनलाल जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

1. श्री रामनिवास सारण अधिवक्ता वास्ते वादीनी
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते गौण प्रतिवादी संख्या 2/1 ... व 10
4. श्री महावीर प्रसाद नेहरा वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 ता ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस ... ार है कि वादिनी की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि रोही कस्बा सरदारशहर गत खसरा न. 251/1 तादादी 25–19 बीघा एवं खसरा न. 253 तादादी 48–7 बीघा संयुक्त खातेदारी में 10 बिश्वा 5 बिश्वांसी भूमि स्थित है। वर्ष 1966 में

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 251 में से दिल्ली बीकानेर रोड़ निकलने पर खसरा नम्बर 251 मौके पर तीन टुकड़ों में विभाजित हो गया। अर्थात एक भाग सड़क, दूसरा सड़क से उतर तथा तीसरा सड़क से दक्षिण। राजस्व कर्मचारियों ने तत्समय इन्तकाल दर्ज करते समय भूल से भाग खसरा न. 251/2 तादादी 3 बीघा 10 बिश्वा सड़क के नाम तथा दूसरा भाग खसरा नम्बर 251/1 तादादी 25 बीघा 19 बिश्वा तत्कालीन खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया जबकि राजस्व नक्शा में तीन टुकड़े दिखाये है। सम्वत 2072 में तहसील सरदारशहर में नवीन बन्दोबस्त हुआ। बन्दोबस्त कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करते हुए सड़क के नवीन खसरा न. 449 तादादी 0–88 हैक्टेयर तथा सड़क से उतर खसरा न. 448 तादादी 0–21 हैक्टेयर एवं सड़क से दक्षिण खसरा न. 450 तादादी 6–34 हैक्टेयर कायम कर दिये। मौके पर सड़क से उतर में जहां नया खसरा न. 448 कायम किया गया है उसका रकबा 0–25 हैक्टेयर है तथा सड़क से दक्षिण के खसरा न. 450 का रकबा 6–34 हैक्टेयर के बजाय 6–30 हैक्टेयर है।

वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा पहले भी सड़क से उतर में था एवम आज भी सड़क से उतर में है। मौके पर कब्जे को लेकर किसी पक्षकार से किसी भी पक्षकार का कोई विवाद नहीं है। नवीन बन्दोबस्त सम्वत 2072–92 अभिलेख में वादिनी का हिस्सा 0–13 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 0–02 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 0–15 हैक्टेयर अंकित है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा तो सही लिखा है किन्तु प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा गलत अंकित है। प्रतिवादी संख्या 3 ने जिस दिन भूमि क्रय की उस दिन भूमि मौके पर कम थी इसलिए मौके पर उपलब्ध भूमि 0–10 हैक्टेयर का ही कब्जा प्राप्त किया। आज भी प्रतिवादी संख्या 3 का 0–10 हैक्टेयर पर ही कब्जा है। इस प्रकार सड़क से उतर खसरा न. 448 का रकबा 0–21 हैक्टेयर के बजाय 0–25 हैक्टेयर होना चाहिए था एवं सड़क से दक्षिण के खसरा न. 450 का रकबा 6.34 हैक्टेयर के बजाय 6. 31 हैक्टेयर दर्ज किया जाना चाहिए था। जो कि पहले खसरा न. 252/1 तादादी 25–19 बिश्वा के समतुल्य है। इसलिए सहवन से अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी को बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा अशुद्ध तैयार किये अभिलेख का संज्ञान दिनांक 23.02.2018 को नकलें लेने पर प्राप्त हुआ बाद यह दावा पेश किया गया है। गत खसरा नम्बर 253 तादादी 48–07 बीघा के नये खसरा एवं क्षेत्रफल बाबत इस दावा में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है क्योंकि इन भूमियों पर प्रतिवादी सं. 4 से 10 का कब्जा काश्त है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का गत खसरा न. 253 पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 4 ता 10 संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार वाद संयोजित किया जाकर दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादिनी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर नवीन बन्दोबस्त अभिलेख कस्बा सरदारशहर के नया खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0–21 हैक्टेयर के बजाय 0–25 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6–34 हैक्टेयर के बजाय 6–31 हैक्टेयर दर्ज अभिलेख करने का आदेश प्रदान करें।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद सरिस्ता रिपोर्ट के अवलोकन के दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सःशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामील पैरोकार राज उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर [illegible] उपस्थित आये। जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की ओर से जबाब दावा पेश कि[illegible] वा[illegible]का वाद डिक्री किये जाने में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। [illegible]। पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत [illegible] राज बंद किया गया। वादीनी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की [illegible]वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

...अधिकारी
...हर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादीनी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि वादिनी की खरीदशुदा, खातेदारी कृषि भूमि रोही कस्बा सरदारशहर गत खसरा न. 251/1 तादादी 25–19 बीघा एवं खसरा न. 253 तादादी 48–7 बीघा संयुक्त खातेदारी में 10 बिश्वा 5 बिश्वांसी भूमि स्थित है। वर्ष 1966 में खसरा नम्बर 251 में से दिल्ली बीकानेर रोड़ निकलने पर खसरा नम्बर 251 मौके पर तीन टुकड़ों में विभाजित हो गया। अर्थात एक भाग सड़क, दूसरा सड़क से उतर तथा तीसरा सड़क से दक्षिण। राजस्व कर्मचारियों ने तत्समय इन्तकाल दर्ज करते समय भूल से भाग खसरा न. 251/2 तादादी 3 बीघा 10 बिश्वा सड़क के नाम तथा दूसरा भाग खसरा नम्बर 251/1 तादादी 25 बीघा 19 बिश्वा तत्कालीन खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया जबकि राजस्व नक्शा में तीन टुकड़े दिखाये है। सम्वत 2072 में तहसील सरदारशहर में नवीन बन्दोबस्त हुआ। बन्दोबस्त कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करते हुए सड़क के नवीन खसरा न. 449 तादादी 0–88 हैक्टेयर तथा सड़क से उतर खसरा न. 448 तादादी 0–21 हैक्टेयर एवं सड़क से दक्षिण खसरा न. 450 तादादी 6–34 हैक्टेयर कायम कर दिये। मौके पर सड़क से उतर में जहां नया खसरा न. 448 कायम किया गया है उसका रकबा 0–25 हैक्टेयर है तथा सड़क से दक्षिण के खसरा न. 450 का रकबा 6–34 हैक्टेयर के बजाय 6–30 हैक्टेयर है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा पहले भी सड़क से उतर में था एवम आज भी सड़क से उतर में है। मौके पर कब्जे को लेकर किसी पक्षकार से किसी भी पक्षकार का कोई विवाद नहीं है। नवीन बन्दोबस्त सम्वत 2072–92 अभिलेख में वादिनी का हिस्सा 0–13 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 0–02 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 0–15 हैक्टेयर अंकित है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा तो सही लिखा है किन्तु प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा गलत अंकित है। प्रतिवादी संख्या 3 ने जिस दिन भूमि कय की उस दिन भूमि मौके पर कम थी इसलिए मौके पर उपलब्ध भूमि 0–10 हैक्टेयर का ही कब्जा प्राप्त किया। आज भी प्रतिवादी संख्या 3 का 0–10 हैक्टेयर पर ही कब्जा है। इस प्रकार सड़क से उतर खसरा न. 448 का रकबा 0–21 हैक्टेयर के बजाय 0–25 हैक्टेयर होना चाहिए था एवं सड़क से दक्षिण के खसरा न. 450 का रकबा 6.34 हैक्टेयर के बजाय 6.31 हैक्टेयर दर्ज किया जाना चाहिए था। जो कि पहले खसरा न. 252/1 तादादी 25–19 बिश्वा के समतुल्य है। इसलिए सहवन से अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी को बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा अशुद्ध तैयार किये अभिलेख का संज्ञान दिनांक 23.02.2018 को नकलें लेने पर प्राप्त हुआ बाद यह दावा पेश किया गया है। गत खसरा नम्बर 253 तादादी 48–07 बीघा के नये खसरा एवं क्षेत्रफल बाबत इस दावा में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है क्योंकि इन भूमियों पर प्रतिवादी सं. 4 से 10 का कब्जा काश्त है। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का गत खसरा न. 253 पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 4 ता 10 संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार वाद संयोजित किया जाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर नवीन बन्दोबस्त अभिलेख कस्बा सरदारशहर के नया खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0–21 हैक्टेयर के बजाय 0–25 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6–34 हैक्टेयर के बजाय 6–31 हैक्टेयर दर्ज अभिलेख करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील वादीनी, वकील प्रतिवादी सं0 4 ता 9 व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में खसरा न. 448 का क्षैत्रफल [illegible] हैक्टेयर के बजाय 0.25 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षैत्रफल 6.34 हैक्टेयर के बजाय 6.31 हैक्टेयर [illegible] दर्ज है। जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि फलस्वरूप वादीनी वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी में रकबा शुद्ध करवाकर सही तरमीम करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

वाद वादीनी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि कस्बा सरदारशहर खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6.34 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। कृषि भूमि रोही सरदारशहर के खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर के स्थान 0.25 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6.34 हैक्टेयर के स्थान पर 6.31 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। भूमि यथावत रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या RAS
अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955 एवं 136 एल आर एक्ट 1956
राजस्व मूल वाद संख्या 30/2018
अनुवान कृष्णादेवी बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक : 16/12/2024

कृष्णादेवी पत्नी मुखराम नाथोलिया जाति ब्राह्मण निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– वादीनी

<u>बनाम्</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू
2. कमल कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं० 10. सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– मृतक

2/1 निशा गोठी पत्नी स्व० कमल कुमार जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं० 10. सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

2/2 चन्द्रप्रकाश गोठी पुत्र स्व० कमल कुमार जाति ओसवाल गोठी निवासी वार्ड नं0 10, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

3. प्रशांत कुमार पुत्र नोरतमल छाजेड़ निवासी वार्ड नं. 10, दुगड विद्यालय रोड, बडौदा बैंक के पास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. चन्दादेवी पत्नी बलराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
5. मनिया पुत्र बलराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
6. बाबूलाल पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
7. दीपाराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
8. खेताराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
9. मूलाराम पुत्र पूरणाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
10. पूरणाराम पुत्र मदनलाल जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं0 10. बीकानेर बाईपास, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामनिवास सारण एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री महावीर प्रसाद नेहरा, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीनी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि कस्बा सरदारशहर खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6. 34 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। कृषि भूमि रोही सरदारशहर के खसरा न. 448 का क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर के स्थान 0.25 हैक्टेयर एवं खसरा न. 450 का क्षेत्रफल 6.34 हैक्टेयर के स्थान पर 6.31 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। भूमि यथावत रहन रहेगी।

....

....बीज .... मुबलिग ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मेहर

डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:12 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	00	00			
मिजान	04	00			
	10	00	मिजान	01	00

Scanned with OKEN Scanner